तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/9/25	[illegible] उपस्थित / [illegible] के कारण [illegible] करण [illegible] सकी। 17/9/25
17/9/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक के बहस हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र वास्ते दिनांक 29/9/25 को पेश हो।
29/9/25	[illegible] वकील वादी / [illegible] पत्रावलियाँ [illegible] प्रकरण [illegible] नहीं हो सकी। [illegible] 10/10/25 [illegible] पेश हो।
10/10/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत दिनांक 02.05.2016 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। पत्रावली दिनांक 12.09.2025 से बहस प्रार्थना पत्र के स्तर पर जैरकार है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस नही जा रही है। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा की आवश्यकता नही है। चूंकि प्रकरण दिनांक 02.05.2016 से न्यायालय में लम्बित है। वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किये जाने के उपरांत 9 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र मत में जबकि प्रार्थी स्वयं की रूचि स्थगन प्रार्थना पत्र में नही है, हम उक्त प्रार्थना पत्र को निस्तारित किया जाना न्यायोचित पाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे। उपखण्ड अधिकारी कोटा